



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-305/2022

दिनांक- 15-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

घर से भैंस चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की गयी भैंस बरामद

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – वादिनी थाना महाराजगंज द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 12.09.22 की रात्रि करीब 01.00 बजे सुरेन्द्र S/O किशुन यादव निवासी ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष के द्वारा वादिनी के घर से भैंस को चुरा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 354/22 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 15.09.22 उ0नि0 सुभाष चन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र किशुन यादव निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम टेढ़वा के पास से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस लिया तथा चोरी की गयी एक नफर काले रंग की भैंस को बरामद कर वादिनी को सुपुर्द किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 354/22 धारा 379,411 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सुरेन्द्र यादव पुत्र किशुन यादव निवासी शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी- एक नफर काले रंग की भैंस जिसे वादिनी मुकदमा को मौके पर सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सुभाष चन्द्र दुबे मय हमराह का0 सुभाषचन्द्र यादव व का0 रविन्द्र यादव थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना मेंहनगर

पुलिस मुठभेड मे 02 पशु तस्कर गिरफ्तार; नम्बर प्लेट बदली हुई मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, 01 जिन्दा व एक खोखा कारतुस (.315बोर) बरामद

दिनांक- 15.09.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अक्षैबर नगर पुलिसिया के पास से एक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिनको घेरकर समय 03.45 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तो ने अपना नाम क्रमशः 1.सेराज S/O मो0 कैश निवासी करौती थाना मेहनगर आजमगढ़ 2- नौशाद S/O वाहिद नि0 गौरा थाना मेहनगर आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मो0 सा0 UP 50 BA 8087 जिसका नम्बर प्लेट बदला हुआ व अभि0 सेराज के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर मय 1 खोखा कारतुस व 01 जिन्दा कारतुस बरामद हुआ। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 287/22 धारा धारा 420,467,468,471,307,34 ipc बनाम 1.सेराज S/O मो0 कैश निवासी करौती थाना मेहनगर आजमगढ़ 2- नौशाद S/O वाहिद नि0 गौरा थाना मेहनगर आजमगढ़ व मु0 अ0 सं0 288/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम सेराज S/O मो0 कैश निवासी करौती थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि हम लोग बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलते है हम लोग रात्रि मे जानवरो की रेकी करके पिकअप मंगाकर क्षेत्र से भैंस की चोरी तथा चोरी छिपे गोवंशी पशुओ को पिकअप पर लादकर बध हेतु बिहार ले जाते है हमलोग आगे आगे चलकर रेकी करते है तथा चोरी किये गये भैंस को गोरखपुर तथा जुबेरगंज (अयोध्या) के पशु मेले मे ले जाकर बेच देते है हम लोग अपने बचाव व सुरक्षा हेतु तमन्चा रखे थे पकडे जाने की डर की वजह से आप लोगो पर फायर कर दिया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय - अक्षैबर नगर पुलिसिया के पास से समय करीब 03.45 बजे दिनांक 15.9.22

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 287/22 धारा 420,467,468,471,307,34 ipc थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

2. मु0 अ0 सं0 288/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सेराज S/O मो0 कैश निवासी करौती थाना मेहनगर आजमगढ़

2- नौशाद S/O वाहिद नि0 गौरा थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी-

अभियुक्त सेराज व नौशाद के पास से एक अदद मो0 सा0 UP 50 BA 8087 जिसका नम्बर प्लेट बदला हुआ अभि0 सेराज के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर मय 1 खोखा कारतुस व 01 जिन्दा कारतुस बरामद हुआ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष बसन्त लाल, उ0 नि0 कन्हैया लाल मौर्य, का0हिमांशु गिरी, का0 विजेन्द्र धुसिया का0 रोहित यादव म0 का0 नीतू तिवारी थाना मेंहनगर आजमगढ़।

थाना- बरदह

किशोरी को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना का विवरण – दिनांक 08.09.22 को वादी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि स्वयं की पुत्री उम्र 17 वर्ष को रिंकू पुत्र इन्द्रजीत आदि 04 नफर निवासीगण ग्राम बीकापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा साजिश के तहत बहलाफूसला कर भगा ले गये है, के संबंध में थानास्थानीय पर मु0अ0स0 315/22 धारा 363/366/120बी भादवि बनाम रिंकू पुत्र इन्द्रजीत आदि 04 नफर निवासीगण ग्राम बीकापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार राय के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

दिनांक- 14.09.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार राय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्तों से सम्बन्धित पीडिता व अभियुक्त को सरायमोहन सरकारी अस्पताल के पास से दविश देकर पकड लिया गया। पकडा गया व्यक्ति द्वारा अपना नाम रिंकू बनवासी पुत्र इन्द्रजीत बनवासी निवासी ग्राम बीकापुर थाना बरदह आजमगढ़ बताया, अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0 है, जिसे कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 17.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ने हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 315/22 धारा 363/366/120बी भादवि थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

रिंकू बनवासी पुत्र इन्द्रजीत बनवासी निवासी ग्राम बीकापुर थाना बरदह आजमगढ़

पुलिस टीम-

जितेन्द्र कुमार राय (उ0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

धनंजय (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रीती पटवा (म0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- देवगांव

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना का विवरण:- दिनांक 14.09.2022 को आवेदक शंकर राजभर पुत्र शुब्बर राजभर निवासी खनियरा थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा सूचना दिया गया कि आवेदक के गांव के जुगई राजभर पुत्र बहू राजभर व अमिरका राजभर पुत्र जुगई राजभर पूरानी रंजीश की विवाद को लेकर लालगंज से घर जाते समय गांव के समीप जुगई राजभर द्वारा कुल्हाड़ी से व अमिरका राजभर द्वारा लाठी लेकर आवेदक के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिये। बीच बचाव करने आये आवेदक की पत्नी सुशीला व लड़का लक्षिमन तो उनके ऊपर भी हमला कर दिये। जिससे सभी को गंभीर चोटे आयी। आवेदक के तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 347/22 धारा 307/504/506/34 भादवि बनाम 1. जुगई राजभर पुत्र बहू राजभर 2. अमिरका राजभर पुत्र जुगई राजभर निवासीगण खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 15.09.2022 को उ0नि0 प्रदीप कुमार राही मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. जुगई राजभर पुत्र बहू राजभर 2. अमिरका राजभर पुत्र जुगई राजभर निवासीगण खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़ को खनियरा मोड के पास से समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जामा तलाशी से अमिरका राजभर के पास से एक अदद कुल्हाड़ी मिला पूछने पर बताया कि कल घटना इसी कुल्हाड़ी से किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 347/2022 धारा 307/504/506/34 थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी का स्थान- खनियरा मोड़, दिनांक 15.09.2022 समय 08.15 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- जुगई राजभर पुत्र बहू राजभर निवासी खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़

2- अमिरका राजभर पुत्र जुगई राजभर निवासी खनियरा थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-उ0नि0 प्रदीप कुमार राही का0 राहुल यादव का0 शिवम राय थाना देवगांव आजमगढ़